

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा


दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 2476 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 09.08.2021  
30-10-21

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
रानीखेत।


- विषय – जनपद अल्मोड़ा में भतरौजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या-11260/2016)।  
सन्दर्भ – आपका पत्रांक 2071/36सी० दिनांक 04.10.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा ऑनलाईन लगाई गयी आपत्ति का पूर्ण निराकरण किए बिना ही प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को अग्रसारित कर दिया गया है। जो कि सही नहीं है आपसे निवेदन है कि आप प्रस्ताव में लगाई गयी आपत्तियों का पूर्ण निराकरण कर ही मय संलग्नक इस कार्यालय को अग्रसारित करें जिससे कि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब न होने पाए। प्रस्ताव में दिनांक 20.04.2021 द्वारा लगाई गयी आपत्ति के प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से बिन्दु संख्या 1 व 2 का पूर्ण निराकरण कर ही इस कार्यालय को सम्बन्धित प्रति उत्तर की मय संलग्नक हार्ड कॉपी 4 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।



- 1- The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same, as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines; also the scan of photo stat authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.



- 2- VLC proceeding and NOC of all the villages as per detail mentioned in the B 2.3- under village wise breakup is to be uploaded along with FRA certificate for the villages-

1	sorai		
2	majera		
3	Kumarti		

- 3- Van panchayat land is shown in Bar chart under legal classification in Part II, van panchayat land is not mentioned; also in Part II- only .128 ha detail is mentioned- revenue forest (screenshot attached)